राजस्थान आवासन मण्डल

आवास भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर दूरभाष - 0141-2744688

हमारा प्रयास-सबको आवास

सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिये खुशखबरी

बुधवार नीलामी उत्सव के तहत

13 वर्षों की आसान किश्तों पर आवास लेने का सुनहरा अवसर

50% तक की भारी छूट

156 आसान मासिक किश्तें

मात्र 10 % भुगतान पर ही आवास की चाबी

उपलब्धता

'बुधवार नीलामी उत्सव' के तहत
42 शहरों की 50 योजनाओं में
50 प्रतिशत तक के डिस्काउंट पर उपलब्ध समस्त आवास

उपलब्ध आवासों की सूची मण्डल की 'वेबसाईट' www.urban.rajasthan.gov.in/rhb तथा समस्त मण्डल कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी।

पात्रता राज्य सरकार के राजकीय विभागों/राजकीय उपक्रमों/बोर्ड/निगमों में कार्यरत समस्त कर्मचारी एवं अधिकारीगण

सीलबंद नीलामी के नियम

- नीलामी की कार्यवाही प्रत्येक सोमवार को प्रातः 10.00 बजे से प्रारम्भ होकर बुधवार सायं 04.00 बजे तक चलेगी। नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता को सम्बन्धित आवास/फ्लैट की आरक्षित दर की 5 प्रतिशत अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक निर्धारित बोली/निविदा आवेदन पत्र के साथ सीलबंद लिफाफे में जमा कराना होगा। निर्धारित अमानत राशि के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के अभाव में बोली निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी। बोलीदाता प्रत्येक सोमवार एवं मंगलवार को प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक एवं बुधवार प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक सम्बन्धित कार्यालय में सीलबंद प्रस्ताव दे सकेंगे।
- प्रत्येक आगामी बुधवार की नीलामी के लिये प्रत्येक शुक्रवार को नीलामी के उपलब्ध आवासों की सूची अपडेट कर दी जायेगी।
- राज्य कर्मियों को मण्डल द्वारा निर्धारित पिंक कलर के बिड फॉर्म में सीलबन्द लिफाफे में बिड प्रस्तुत करनी होगी।
- बोलीदाता निर्धारित आवेदन पत्र वृत्त-कार्यालयों में उप आवासन आयुक्त/स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों में आवासीय अभियंता कार्यालय से अथवा मण्डल की वेब साईट से डाऊनलोड करके निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे।
- नकद भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध
- उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करते हुए आगामी 03 दिवसों में जमा करानी होगी। यदि जमा करने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस तक राशि जमा करवा सकेंगे। उक्तानुसार राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
- सफल बिड दाता राज्य कर्मी को शेष 90 प्रतिशत राशि पर मण्डल द्वारा 13 वर्षों की (156) समान किश्तों का आवंटन पत्र जारी किया जायेगा।
- सफल बिड दाता राज्य कर्मियों को अपने नियंत्रक अधिकारी (आहरण/ वितरण अधिकारी) से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि वह मासिक किश्त जमा करवाने में चूक करता है तो मण्डल के निवेदन पर संबंधित राज्य कर्मचारी की बकाया किश्त (ब्याज सहित) वेतन में से काट कर मण्डल को भिजवा दी जायेगी।
- सभी प्राप्त प्रस्तावों को बुधवार सायं 4.30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जायेगा। बुधवार को राजकीय अवकाश होने पर अग्रिम कार्य दिवस को सायं 04.00 बजे तक सीलबंद निविदा प्राप्त करने एवं 04.30 बजे उसे निर्धारित कमेटी द्वारा खोलने की कार्यवाही की जावेगी।
- नीलामी से सम्बन्धित समस्त राशि नकद रूप में प्राप्त न की जाकर पे-आर्डर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये प्राप्त की जावेगी।
- नीलामी समिति को अधिकार होगा कि स्वच्छ व प्रतियोगी बोली प्राप्त नहीं होने पर वह किसी भी समय बोली कार्य को स्थगित/निरस्त कर सकेगी। सीलबंद नीलामी के प्रकरण में एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा खोली जावेगी एवं समिति द्वारा उसे स्वीकृत किया जा सकेगा।
- सीलबंद निविदाओं में अधिकतम निविदा दर के रूप में एक से अधिक समान दर प्राप्त होने की स्थिति में समिति द्वारा मौके पर उपस्थित निविदा दाताओं की उपस्थिति में ऐसे प्रस्तावों के संबंध में लॉटरी (पर्ची द्वारा) निकाली जा कर सफल बोलीदाता का चयन किया जावेगा।
- एक बोलीदाता एक से अधिक नीलामी में भी भाग ले सकेगा अर्थात एक से अधिक आवासों/फ्लैट्स के क्रय के लिए सीलबंद प्रस्ताव दे सकेगा। एक ही परिवार के सदस्य चाहे पति-पत्नी ही क्यों न हो नीलामी में एक ही समय पर भाग ले सकते है एवं नीलामी में सम्पत्ति क्रय कर सकते है।
- योजनावार/अपार्टमेंटवार नोडल अधिकारियों की सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध

प्रत्येक शनिवार-रविवार को मौका दिखाने की विशेष व्यवस्था

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb देखें।

अध्यक्ष

आवासन आयुक्त

Size: 37x24 sqcm